

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2014

G.S.R 874(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections 5 and 6 of the oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules (P&NG), 1959:-

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules 2014.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (hereinafter to be referred as said rules), in Rule 12 under the proviso clause after the word area the following will be added:-

“[and term]”

[F. No. 32011/10/2013-ONG-II]

U.P. SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R 1288 dated the 24th November, 1959 and subsequently amended *vide* G.S.R. (E) 899(E) dated 16th December, 2009.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 2014/अग्रहायण 15, 1936

No. 652]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 2014/AGRAHAYANA 15, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13, नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 874(अ).— तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की उप-धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम (पीएण्डएनजी), 1959 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (उनके पश्चात् इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा) में, क्षेत्र शब्द के बाद परंतुक खंड के नीचे नियम 12 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

"[और अवधि]"

[फा.सं. 32011/10/2013-ओएनजी-II]

यु. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम दिनांक 24 नवम्बर, 1959 की संख्या सा.का.नि. 1288 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के सा.का.नि. (अ) 899 (अ) द्वारा संशोधित किए गए।